D:\R.K.Sanwal Folder\General Election Leave 201*.Doc

चुनाव अत्यावश्यक

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.13(2)साप्र/2/2013 जयपुर, दिनांकः 26-04-2019

–: संशोधित आदेश :–

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.04.2019 में आंशिक संशोधन करते हुये भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा आम चुनाव, 2019 के मतदान करने हेतु ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के साथ–साथ राजस्थान राज्य के अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत है। ऐसे अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ–साथ राजस्थान राज्य के कार्मिकों को भी मतदान दिवस के अवसर पर उनके द्वारा (ऐसे मतदाता द्वारा) आवेदन करने पर सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु सम्बन्धित जिला निर्वाचन अधिकारी (जिला कलक्टर्स) के स्थान पर संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्योलयाध्यक्षों को प्राधिकृत किया जाता है।

पुनर्मतदान की स्थिति में भी उक्त आदेश प्रभावी होगें।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

(चन्दा लाल मीना)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. प्रमुख सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
7. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
8. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग, राजस्थान जयपुर को उनके पत्र दिनांक 25.04.2019 के क्रम में।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव गण।
10. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
11. समस्त जिला कलक्टर (जिला निर्वाचन अधिकारी) राजस्थान।
12. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर बैंच, जयपुर।
13. आयुक्त, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान जयपुर।
14. पंजीयक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
15. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष राजस्थान/समस्त निगम/मण्डल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक।
16. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग
17. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन(ग्रुप–3) विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
18. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

Scanned by CamScanner

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
प्राप्ति संख्या : 1204
दिनांक : 26/4/19

चुनाव आवश्यक

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान
शासन सचिवालय, जयपुर

विषयः- लोकसभा आम चुनाव, 2019 – कार्मिकों को मतदान हेतु अवकाश दिए जाने बाबत।

प्रसंगः- विभागीय समसंख्यक पत्रांक 3562 दिनांक 03.04.2019 एवं सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग का आदेश क्रमांकः प.13(2)साप्र/2/2013 दिनांक 10.04.2019

उपरोक्त विषयांतर्गत विभागीय प्रासंगिक पत्र के क्रम में सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग द्वारा प्रासंगिक आदेश से लोकसभा आम चुनाव-2019 के मतदान करने हेतु ऐसे कार्मिक जो अन्य राज्य के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, तथा राजस्थान राज्य में कार्यरत हैं, ऐसे कार्मिको को आवेदन करने पर मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर्स) को प्राधिकृत किया है।

इस क्रम में अनुरोध है कि मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर्स) के स्थान पर कार्मिकों के संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को प्राधिकृत कराया जावे।

इसी प्रकार ऐसा कार्मिक जो राजस्थान राज्य के किसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य तौर पर निवासी है और मतदाता के रूप में पंजीकृत है, राजस्थान राज्य के ही अन्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कार्यरत है ऐसे कर्मिकों को भी आवेदन करने पर मतदान हेतु मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश दिया जावे।

अतः अनुरोध है कि अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ-साथ राजस्थान राज्य के कार्मिकों को भी मतदान दिवस का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु कार्मिकों के संबंधित विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को प्राधिकृत कराये जाने बाबत संशोधित आदेश जारी कराने का श्रम करावें।

(डॉ० जोगा राम)
अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।
अ.शा.टीप क्रमांक प.8(2)(30)निर्वा./2017/ 5122
जयपुर, दिनांक 25-4-19

D/CPM/FILES/8.2.30/18

Scanned by CamScanner